मुख्य अभियंता–6 दरभंगा का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग।

पत्रांक– 273 /

दिनांक– 17.2.2025

प्रेषक,

ई० किशोर कुमार
मुख्य अभियंता–6

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पटोरी।

विषयः शीर्ष **NABARD** योजनान्तर्गत कार्य प्रमण्डल, पटोरी के अधीन **Noon River at Rajwara Ghat in Chkapahad To Musapur Via Rajwara PMGSY Road (State Scheme/24-25/Patori/01, Tender ID-138658)** कार्य की निविदा की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्य बिहार लोक निर्माण संहिता के कंडिका–163 के आलोक में इस कार्य को इसके योग्य सफल निविदाकार **Expertise Construction Company** (BID ID-605320) को उनके द्वारा निविदित दर, जो परिमाण विपत्र की दर से **25.20% (पच्चीस दशमलव दो शून्य प्रतिशत)** कम है, को स्वीकृत करते हुए सम्पूर्ण कार्य कुल **1,18,71,405/–(एक करोड़ अठारह लाख एकहत्तर हजार चार सौ पॉच) रुपये मात्र की लागत पर आपकी अनुशंसा एवं कार्यहित में आवंटित किया जाता है।**

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये संबंधित **एन०एस०सी०/Fixed Deposit** आदि का सत्यापन संबंधित **डाकघर/बैंक** से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा। कार्यपालक अभियंता, कार्य **प्रमंडल, पटोरी** कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।
4. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. एकरारनामा से पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि निविदाकार डिबार सूची/काली सूची या कार्य लंबित सूची में शामिल न हो।
6. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जॉच अपने स्तर से स्वंय कर लेगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
9. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेगें कि इसमें कोई त्रुटि न हो।
10. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। पथ का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि का मिलान कर ही कार्य आवंटन आदेश निर्गत करेंगे। अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटन/LOA निर्गत करने से पूर्व मिलान कर लेंगे कि परिमाण विपत्र की राशि प्रशासनिक अनुमोदन की राशि के अनुज्ञेय सीमा के अन्दर है। यदि अनुज्ञेय सीमा से अधिक हो तो एकरारनामा के पूर्व पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
11. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित सवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु मासिक कार्य प्रोग्राम हस्ताक्षरित कराकर प्राप्त कर लेगें जो की एकारारनामा का भाग होगा।

D:\Office 29-07-2022\CE-2 Work\All Scheme\Work Order\Final Order In Rate\Sheohar\SBD\130982 Awsesh.Docx

Mail 1.3/2/25 Expertise Construction Company Proprietor

05.03.25
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल पटोरी (समस्तीपुर)

Scanned with CamScanner